रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2004/29 अग्रहायण, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 20 दिसम्बर, 2004

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमैंट बिल/1-55/2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2004

को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाजटा,
सचिव ।

2004 का विधेयक संख्यांक 17.

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (2004 का 9) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2004 है।

(2) यह 15 मई, 2004 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 50-क का जोड़ना।

2004 का 9

2. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 50 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"**50-क. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का उत्सादन और इसकी परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों का अन्तरण.**—(1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से ही हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड उत्सादित हो जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उत्सादन की तारीख से ही—

(क) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के अध्यक्ष सहित सदस्यों का पद धारण करना समाप्त हो जाएगा ;

(ख) सभी सम्पत्तियां, निधियां और शोध्य रकमें, जो हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड में निहित हैं या उसके द्वारा वसूली योग्य हैं, प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी और उसके द्वारा वसूली योग्य होंगी ; और

(ग) ऐसी सभी देनदारियां जो हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्त्तनीय हैं, प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्त्तनीय होंगी।

(3) इस धारा की कोई भी बात, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अधीन प्रत्याभूत उधार या डिबेंचरों की बाबत राज्य सरकार की देनदारियों को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उत्सादन से ठीक पहले की गई सभी संविदाएं, करार और अन्य लिखत और जिनमें बोर्ड पक्षकार है या जो बोर्ड के पक्ष में हैं, प्राधिकरण द्वारा, के साथ या के लिए की गई समझी जाएंगी।

(5) सभी वाद, अपीलें या अन्य विधिक कार्यवाहियां जो हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध, उप-धारा (1) के अधीन इसके उत्सादन से ठीक पहले, संस्थित हैं या जो संस्थित की जा सकती थी, प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए विधिक कार्यवाहियों के अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन कोई कार्यवाही सम्मिलित है ।

(6) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के सभी कर्मचारी, उप-धारा (1) के अधीन इसके उत्सादन की तारीख से ही प्राधिकरण के कर्मचारी हो जाएंगे और प्राधिकरण में सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर पद धारित करेंगे और इस रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनकी सेवा निबन्धन और शर्तें, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण द्वारा परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं ।

(7) उप-धारा (6) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के किसी भी कर्मचारी ने, उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उत्सादन की तारीख से ठीक बाद के तीन मास के अवसान से पूर्व किसी भी समय प्राधिकरण को, प्राधिकरण का कर्मचारी न बनने के अपने आशय की, लिखित में नोटिस द्वारा, सूचना दी हो तो वह प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं रहेगा और ऐसे उपदान, भविष्य निधि और सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी उसे हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के नियमों या अनुमोदन (आथोराईजेशन) के अधीन इसके उत्सादन के ठीक पहले साधारणतया अनुज्ञेय हैं ।

(8) यदि कोई ऐसा विवाद या ऐसी शंका उद्भूत होती है कि इस धारा के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की कौन सी सम्पत्तियां, अधिकार या देनदारियां प्राधिकरण को अन्तरित की गई हैं या बोर्ड के अधीन सेवारत कर्मचारियों में से, किन्हें प्राधिकरण के कर्मचारी के रूप में माना जाना है, तो ऐसे विवाद या शंका को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

2004 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2004 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 को आवास कालोनियों, उप-नगरों (सैटलाईट टाउनज) और नए नगरों की, प्राधिकरण द्वारा स्वयं या संप्रवर्त्तकों के माध्यम से, योजना एवं विकास के लिए नए उपबन्ध बनाकर हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए उपबन्ध करने हेतु हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 को निरसित कर पुनः अधिनियमित किया गया था। हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उत्सादन, इसकी परिसम्पत्तियों और देनदारियों के अन्तरण और प्राधिकरण में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की परिसम्पत्तियों और देनदारियों के निहित होने के प्रभाव तथा हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के कर्मचारियों की सेवाओं के प्राधिकरण में अन्तरण के उपबन्ध अनवधानता से नहीं किए गए। अतः उपरोक्त कमियों को वैधता देने के लिए उपर्युक्त अधिनियम में पूर्वोक्त उपबन्ध किए जाने आवश्यक समझे गए। अतः उपर्युक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने का विनिश्चय किया गया।

2. क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक था इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश संख्यांक 2) अधिसूचना संख्या एल0एल0आर0-डी (6)-16/2004 लैज द्वारा तारीख 14 सितम्बर, 2004 को प्रख्यापित किया गया और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 14 सितम्बर, 2004 को प्रकाशित किया गया। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

3. यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

हर्ष महाजन,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख ....., 2004.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (2004 का 9) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

हर्ष महाजन,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख....., 2004.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 (*Act No.* 9 *of* 2004).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 15th day of May, 2004.

Addition of section 50-A.

2. After section 50 of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004, the following new section shall be added, namely:— 9 of 2004

"**50-A.** *Abolition of the Himachal Pradesh Housing Board and transfer of its assets and liabilities.*—(1) On and with effect from the date of establishment of the Authority under section 3 of this Act, the Himachal Pradesh Housing Board established under the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972 shall stand abolished. 10 of 1972

(2) On and with effect from the date of abolition of the Himachal Pradesh Housing Board under sub-section (1)—

(*a*) the members including the Chairman of the Himachal Pradesh Housing Board shall cease to hold office ;

(*b*) all properties, funds and dues which are vested in or realizable by the Himachal Pradesh Housing Board shall vest in and be realizable by the Authority; and

(c) all liabilities which are enforceable against the Himachal Pradesh Housing Board shall be enforceable against the Authority.

(3) Nothing in this section shall affect the liabilities of the State Government in respect of loans or debentures guaranteed under Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972.

(4) All contracts, agreements, and other instruments entered into immediately before the abolition of the Himachal Pradesh Housing Board under sub-section (1) and to which the Board is a party or which are in favour of the Board shall be deemed to have been entered into by, with or for the Authority.

(5) All suits, appeals or other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the Himachal Pradesh Housing Board, immediately before its abolition under sub-section (1), shall be continued or instituted by or against the Authority.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, legal proceedings includes any proceeding under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894).

(6) All employees of the Himachal Pradesh Housing Board shall, on and from the date of its abolition under sub-section (1), become employee of the Authority, and shall hold office in the Authority on the same terms and conditions of service and shall continue as such unless and until their terms and conditions of service are altered by the Authority with the previous approval of the State Government.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), where any employee of the Himachal Pradesh Housing Board, by notice in writing given to the Authority at any time before the expiry of three months next following the date of abolition of the Himachal Pradesh Housing Board under sub-section (1), has intimated his intention of not becoming an employee of the Authority, he shall cease to be an employee of the Authority and shall be entitled to get such gratuity, provident fund and other retirement benefits as are ordinarily admissible to him under the rules or authorization of the Himachal Pradesh Housing Board immediately before its abolition.

(8) If any dispute or doubt arises as to which of the properties, rights or liabilities of the Himachal Pradesh Housing Board transferred to the Authority or as to which of the employees

serving under the Board are to be treated as employees of the Authority under this section, such dispute or doubt shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

Repeal of Ordinance No. 2 of 2004 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 was re-enacted by repealing the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972 with a view to provide for establishing Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority by making new provisions for planning and development of housing colonies, satellite towns and new township by the Authority either itself or through promoters. Inadvertently the provisions relating to abolition of the Himachal Pradesh Housing Board, transfer of its assets and liabilities and effect of vesting of assets and liabilities of the Himachal Pradesh Housing Board in the Authority and transfer of services of the employees of the Himachal Pradesh Housing Board to Authority could not be made. Thus to impart legality about the shortcomings pointed out above, it was considered necessary to make the aforesaid provisions in the Act *ibid*. As such, it was decided to amend the Act *ibid* suitably.

2. Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Amendment) Ordinance, 2004 (Ordinance No. 2 of 2004) *vide* notification No. LLR-D(6)-16/2004-Leg., dated 14th September, 2004 and the same has been published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 14th September, 2004. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

3. The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without modification.

HARSH MAHAJAN,
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The.....2004.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE HIMACHAL PRADESH HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 (Act No. 9 of 2004).

HARSH MAHAJAN,
Minister-in-charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The....., 2004.

:, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-6 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।